

11/2/20 6/11/19

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी

मुकाम

किशनगढ़ (अजमेर)

(तारीख),  
6/12/19

2/11/20

1. राज कंवर पत्नि श्री रणजीत सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर राज0

28/4/20

27/05/20

8/7/20

वादीयां 21/8/20

बनाम

1. राम सिंह पुत्र छोदू सिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम धोलपुरिया तहसील अंराई जिला अजमेर राज0 वगैरे

10/11/2020

11/11/2020

प्रतिवादीगण

किस्म मुकदमा - 53, 188 व 209 रा0का अधिनियम

नंबर 162/2019

ऑन लाईन नंबर 2019/000....

वकील वादीया श्री कुश कुमार सिंह

वकील प्रतिवादी .....

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील मे जारी हुए
17.07.2019	<p>यह वाद पत्र वादीया की ओर से वकील श्री कुश कुमार सिंह ने अन्तर्गत धारा 53, 188 व 209 रा0का0अधि0 के तहत पेश किया। वाद पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया, वकील वादीया को सुना गया। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक <u>22.08.2019</u> को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़ (अजमेर)</p>	
22/8/19	<p>पत्रावली पेश हुई वकील वादी 34। प्रति स. 1 व 2 के तामिल शुदा सम्मन प्राप्त परन्तु 5:30 P.M. तक उनकी ओर से उनका कोई प्रतिनिधि उप. नहीं हुआ। प्रति स. 1 व 2 के विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की जाती है। व प्रति स. 6 के प्रतिनिधि उप. उनके द्वारा अवकाश दावा पेश करने हेतु समय जाहा गया। व प्रति स. 5 के तामिल कुनिदा रिपोर्ट अनुसार प्रति स. 5 का मकान खदे मिया स्व प्रति स. 5 बाहर गई है। व प्रति स.</p>	

पेश हो।

13/12/24 पत्रावली पेश हुई आज दिनांक 13/12/24 को  
..... की ओर से कार्य समाप्त रखा गया।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 20/12/24 को  
पेश हो।

20/12/24 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।  
P.O. सहाय चुनाव कार्य/समकार्य/दी/अवकाश  
पर पेश। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.....  
दिनांक 10/1/25 को पेश हो।

10/1/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।  
P.O. सहाय चुनाव कार्य/समकार्य/दी/अवकाश  
पर पेश। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार.....  
दिनांक 28/2/25 को पेश हो।

28/2/25 पत्रावली पेश हुई आज दिनांक 28/2/25 को  
..... की ओर से कार्य समाप्त रखा गया।  
पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 25/4/25 को  
पेश हो।

25/4/25 पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकारान् उपस्थित।  
समय में तीन बार प्रत्येक-प्रत्येक पक्षकारों को  
लगाई गई। किन्तु न तो वकील उपस्थित हुए  
तथा न ही वकील के अधीन प्रत्येक उपस्थित हुए  
अंतर प्रत्येक बार हम हाजरी। प्रत्येक पक्षकार  
स्वारेज किया जाता है। प्रत्येक पक्षकार  
सुमार होकर नंबर से काम हो।

उपखण्ड अधिकारी  
जराई (अजमेर)